

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ 11-7 / 2009 / 2 / 34
प्रति,

भोपाल, दिनांक

समस्त मुख्य अभियंता,
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- प्रथम आमंत्रण में प्राप्त एकल निविदा को बिना खोले निविदाओं को पुनः
आमंत्रित करने बाबत ।

—00—

मध्यप्रदेश कार्य विभाग संहिता खण्ड -एक सेक्शन 14 कडिका 2.086 एवं मध्यप्रदेश बुक ऑफ फाइनेंसियल पावर्स 1995 खण्ड-2 में कार्य विभाग के विभिन्न अधिकारियों को निविदा स्वीकृति की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की हैं , जिनमें सामान्यतः न्यूनतम दर निविदा को स्वीकृत करने का उल्लेख है ।

प्रथम आमंत्रण के समय एकल निविदा प्राप्त होने पर निविदा निर्णित करने के संबंध में शासन ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की निविदा के लिये लोक निर्माण विभाग में लागू नियम एफ-52/1/10/यो./19-51, दिनांक 3/4.01.2011 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में भी लागू किया जाता है ।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगा ।

संलग्न:-लोक निर्माण विभाग का आदेश

क.एफ-52/1/10/यो./19-51

दिनांक 3/4.01.2011

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.क.जैन)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

/ 2 /

पृ.क. एफ 11-7/2009/2/34
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 10.5.2012

1. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासनलोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल।
2. ✓ प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।

संलग्न:-लोक निर्माण विभाग का आदेश
क.एफ-52/1/10/यो./19-51
दिनांक 3/4.01.2011

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

SECD)

E-WC
11/5/2012

लफो प्रीपत्र-निलो (डा)

11/05

T2

MK
14/5

866/SECD)

14-5-12

एफ-52/1/10/यो/19-51

भोपाल, दिनांक 03.01.2011
4

समस्त मुख्य अभियन्ता
समस्त अधीक्षक इंजी.
समस्त कार्यपालन इंजी.
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रधान आमंत्रण में प्राप्त एकल निविदा को बिना खोले निविदाओं को पुनः आमंत्रित करने बाबत।

म.प्र. कार्य विभाग सहिता खण्ड-एक सेशन 14 कडिला 2086 एवं म.प्र. बुक ऑफ फार्नेसियल पावर्स 1995 खण्ड-2 में कार्य विभाग के विभिन्न अधिकारियों को निविदा स्वीकृति की शक्तियां प्रत्याखोजित की हैं, जिन्हें सम्बन्धित न्यूनतम दर निविदा को स्वीकृत करने का उल्लेख है।

प्रथम आमंत्रण के समय एकल निविदा प्राप्त होने पर निविदा निर्णित करने के संबंध में शासन ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की निविदा को बिना खोले रिमार्क "प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा प्राप्त होने से नहीं खोली गई" अंकित कर निविदाकार को न्यूनतम वापिस की जावे एवं ऑनलाईन टेंडर होने की स्थिति में द्वितीय ऑफर न खोला जावे तथा निविदाये तुरन्त पुनः आमंत्रित की जावें।

द्वितीय आमंत्रण में भी एकल निविदा प्राप्त होने पर निविदा प्रकरण का निराकरण प्रियेक प्रकरण एवं प्राप्त निविदा का के साधारण पर सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जावे।

ऐसे प्रकरणों में निविदाओं का प्रथम आमंत्रण लिया जाकर एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति निर्णित हुई है तथा निविदाये विचारणीय है उन पर भी उक्त आदेश लागू होगा तथा ऐसे प्रकरणों में निविदाये पुनः आमंत्रित की जावें।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगा।



पृ.क्र. एफ-52/1/10/यो/19-52
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

भोपाल, दिनांक 03.01.2011

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग